

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *257
10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उद्योग का संरक्षण

*257. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भागलपुरी रेशम (तसर रेशम) उद्योग के संरक्षण और विस्तार के लिए कोई विशेष योजना चला रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भागलपुर जिले में तसर रेशम के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन विकास, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संचालित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भागलपुरी रेशम बुनकरों और कारीगरों की आजीविका सुनिश्चित करने और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में भागलपुरी रेशम को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ब्रांडिंग, जीआई टैग प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विपणन सुविधा और निर्यात संवर्धन हेतु कोई विशेष नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री अजय कुमार मंडल द्वारा 'रेशम उद्योग का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *257 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से, भागलपुर सहित पूरे देश में तसर सिल्क सहित रेशम उत्पादन क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के दौरान सिल्क समग्र-2 योजना लागू कर रही है। बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहायता दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लागत 89.63 करोड़ रुपये है।

(ग): केंद्रीय रेशम बोर्ड सिल्क समग्र-2 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है ताकि रेशम मूल्य श्रृंखला में विशेष रूप से रीलिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में कौशल को मज़बूत किया जा सके।

सिल्क समग्र-2 और समर्थ योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में भागलपुर में क्रमशः 312 व्यक्तियों और 351 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत, इस दौरान भागलपुर के 414 हथकरघा बुनकरों को वीविंग, डाइंग/प्रिंटिंग और डिजाइनिंग में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(घ): सरकार "सिल्क मार्क" और "वन्या सिल्क्स" लेबल के द्वारा भारतीय रेशम को विश्व भर में बढ़ावा देती है। मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए देश भर में सिल्क मार्क एक्सपो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भागलपुरी सिल्क बुनकरों को भी हिस्सा लेने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, सीएसबी भागलपुर में निर्यातकों को सहायता करने के लिए कोकून, कच्ची सिल्क और रेशम फैब्रिक के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत, हथकरघा उत्पादों के डिज़ाइन/उत्पाद को पंजीकृत करने, प्रशिक्षण देने और जी.आई. पंजीकरण को प्रभावी रूप से लागू करने में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ई-कॉमर्स पोर्टल <https://www.indiahandmade.com> लॉन्च किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यातकों और बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों और मेलों में भाग लेने में सहायता की जाती है।
